<u>सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 48/2020 (RCMS 2020/00121)</u> अनवानी 1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नि स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद 2. ममता यादव पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद **3. मनोज कुमार पुत्र** स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद **4.मनीष कुमार पुत्र** स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी चक 16 एमएल (ख्यालीवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. ज्ञान प्रकाश पुत्र** श्री भगवान जाति जाट निवासी चक 11 एलएनपी (ख्यालीवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद निवासी 3 जे 11 जवाहर नगर श्रीगंगानगर **2. रविन्द्र कुमार** पुत्र श्री फरसाराम जाति अहीर निवासी चक 1 एल एस एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **3. स्टेट जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>01.12.2020</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थिति हुए। वर्तमान में उक्त पत्रावली एडमिशन के बिन्दु पर बहस हेतु नियत थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की **कि** प्रार्थी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद वगै. ने **अधीनस्थ न्यायलय** उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 02/2020 अनवानी ज्ञान प्रकाश बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए दिनांक 14.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के तहत इस न्यायालय पेश किया था और **अब चूंकि प्रार्थी उक्त** पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, अर्थात नॉट प्रैस करते है। इसलिए उक्त प्रकरण इसी आधार पर पर दाखिल दफ्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैनें प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित एक प्रकरण संख्या 02/2020 अनवानी ज्ञान प्रकाश बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है और परिणामस्वरूप प्रार्थी के **अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड** ने फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्रीमती कौशल्या देवी वगै. द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2020 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर